

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प: ~~अरुण सेना केम्प ग्रा.प.~~
निम्नलिखित प्रकरण सं.: - 09/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/

924

दिनांक:- 7.5.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~निम्नलिखित~~ व भू.अ.नि. ~~होस्ट~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~सिणधरी~~ सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा ~~198~~ के अनुसरण में ग्राम ~~बुधवाणी हुडे की ढाणी~~ तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् ~~2012-75~~ में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बुधवाणी बुधवाणी हुडे की ढाणी	05	59/6 रकबा 39-00 बीघा	अर्जनराम पुत्र सताराम	अजमालराम पुत्र सताराम शेष बट्टर

क्रमांक:-लो.अदा./2018/

925-27

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 07.5.18

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री...अजमालराम पुत्र सताराम.....को सूचनार्थ।

रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

